रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112020-223206
CG-DL-E-20112020-223206

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2020/ कार्तिक 29, 1942**
No. 330]	**NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020/KARTIKA 29, 1942**

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

सं. 5/1/2019-एनएस.—केंद्रीय सरकार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि -

(i) **7.40% (सात दशमलव चार शून्य प्रतिशत)** भारत सरकार एनएसएसएफ (सी) (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2030-31 लोक ऋण कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में रखे गए अनुषंगी सामान्य बही खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएगी; और

(ii) ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी।

रजत कुमार मिश्र, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

No. 5/1/2019-NS.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby specifies that

(i) **7.40% (Seven point four percent)** Government of India NSSF (C) (Non-trans) Special Securities, 2030-31 shall be issued in FY 2020-21 in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by the Public Debt Office; and

(ii) These securities shall not be transferable.

RAJAT KUMAR MISHRA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

7.40% भारत सरकार (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (सी) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2030-31 का निर्गम

सं. 5/1/2019-एनएस.—भारत सरकार, एतद्द्वारा **7.40 प्रतिशत** भारत सरकार राष्ट्रीय लघु बचत निधि (सी) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूतियां, 2030-31 (इसमें इसके पश्चात इसे "विशेष प्रतिभूति" कहा गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

2. उद्देश्य:

भारत के लोक लेखे में ''राष्ट्रीय लघु बचत निधि'' (एनएसएसएफ) नामक नई निधि के सृजन के परिणामस्वरूप समय-समय पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि से प्राप्त राशि के लिए केंद्रीय सरकार इसके अंतर्गत अधिसूचित विशेष प्रतिभूतियां जारी करेगी।

3. विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान के लिए पात्रता:

सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एनएसएसएफ द्वारा निवेश की राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे।

4. अभिदान:

विशेष प्रतिभूतियां ₹1,00,000 (अंकित मूल्य) की राशि के लिए और इसके बाद ₹1,00,000 के गुणकों में जारी की जाएंगी।

5. प्रतिभूतियों का स्वरूप:

विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में रखे गए अनुषंगी सामान्य बही खाते में धारक के नाम रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएंगी।

6. निर्गम का मूल्य, तारीख और स्थान:

(i) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर जारी की जाएंगी।

(ii) विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की तारीख भारत सरकार के सहायक सामान्य बही खाते में विशेष प्रतिभूतियों के जमा होने की तारीख होगी।

(iii) विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में जारी की जाएंगी।

7. अवधि:

विशेष प्रतिभूतियों की अवधि निर्गम की तारीख से **10 वर्ष** होगी।

8. ब्याज

(i) विशेष प्रतिभूतियों पर **7.40%** (सात दशमलव चार शून्य प्रतिशत) प्रति वर्ष ब्याज लगेगा जो विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख से शुरू करके अर्ध-वार्षिक आधार पर देय होगा। प्रतिभूतियों पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय (अर्थात निर्गम कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में देय होगा।

(ii) ब्याज निकटतम सौ रुपए के पूर्णांकन के बाद संदेय होगा।

9. चुकौती:

भारत सरकार विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती निर्गम की तारीख के अगले वर्ष से प्रारंभ करके दस बराबर किस्तों में करने हेतु 'कॉल ऑप्शन' का प्रयोग करेगी।

10. हस्तांतरणीयता और संपरिवर्तन

विशेष प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी और जब तक सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, तब तक किसी अन्य रूप में इनके संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

11. सांविधिक उपबंध:

ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसका इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां,सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) द्वारा अभिशासित होंगी।

रजत कुमार मिश्र, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

Issue of 7.40% Government of India NSSF (C) (Non-trans) Special Securities, 2030-31

No. 5/1/2019-NS- The Government of India, hereby notifies the issue of 7.4**0 per cent** Government of India NSSF (C) (Non-trans) Special Securities, 2030-31 (hereinafter called "special securities").

2. Objective:

Consequent upon the creation of a new fund in the Public Account of India called the "National Small Savings Fund" (NSSF), the Central Government shall issue the Special Securities notified hereunder against the amounts received by the Government from NSSF from time to time.

3. Eligibility for subscribing to special securities:

The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, shall be eligible to subscribe to special securities for the amounts invested by NSSF as specified by the Central Government from time to time.

4. Subscription:

Special securities will be issued for an amount of Rs.1,00,000 (face value) and in multiples of Rs.1,00,000 thereafter.

5. Form of securities:

The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

6. Price, Date and Place of Issue:

(i) The special securities will be issued at par.

(ii) The date of issue of special securities shall be date of credit of special securities to Subsidiary General Ledger Account of NSSF.

(iii) The Special Securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

7. Tenure:

The tenure of the special securities will be **10 years** from the date of issue.

8. Interest:

(i) The special securities shall bear the interest at the rate of 7.4**0%** (Seven point four per cent.) per annum which will be payable at half yearly basis reckoned from the date of issue of the special securities. Interest on the securities will be payable at the Public Debt Office (i.e. the office of Issue), Reserve Bank of India, Nagpur.

(ii) Interest will be paid after rounding off to nearest hundred rupees.

9. Repayment:

The Government of India shall exercise the ‘call option’ to redeem the special securities in ten equal instalments starting from the next year from the date of the issue

10. Transferability and conversion:

The Special Securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

11. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006).

RAJAT KUMAR MISHRA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

सं. 5/1/2019-एनएस.—केंद्रीय सरकार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि

(i) **7.40% (सात दशमलव चार शून्य प्रतिशत)** भारत सरकार एनएसएसएफ (आर) (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2030-31 लोक ऋण कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में रखे गए अनुषंगी सामान्य बही खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले ‘स्टॉक’ के रूप में जारी की जाएगी; और

(ii) ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी।

रजत कुमार मिश्र, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

No. 5/1/2019-NS-In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby specifies that

(i) **7.40% (Seven point four percent)** Government of India NSSF (R) (Non-trans) Special Securities, 2030-31 shall be issued in FY 2020-21 in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by the Public Debt Office; and

(ii) These securities shall not be transferable.

RAJAT KUMAR MISHRA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

7.40% भारत सरकार (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (आर) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2030-31 का निर्गम

सं. 5/1/2019-एनएस.—भारत सरकार, एतद् द्वारा **7.40 प्रतिशत** भारत सरकार (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूतियां, 2030-31 (इसमें इसके पश्चात इसे "विशेष प्रतिभूति" कहा गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

2. उद्देश्य:

केंद्रीय सरकार 1.4.1999 से निवल लघु बचत एकत्रण के शेयरों के विरुद्ध जारी भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की ऋण मुक्ति के कारण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) में प्राप्त राशि पर इसमें इसके पश्चात अधिसूचित विशेष प्रतिभूति का निर्गम करेगी।

3. विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान के लिए पात्रता:

सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, एनएसएसएफ की ओर से विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे।

4. अभिदान:

विशेष प्रतिभूतियां ₹1,00,000 (अंकित मूल्य) की राशि के लिए और इसके बाद ₹1,00,000 के गुणकों में जारी की जाएगी।

5. प्रतिभूतियों का स्वरूप:

विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में रखे गए अनुषंगी सामान्य बही खाते में धारक के नाम रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएंगी।

6. निर्गम का मूल्य, तारीख और स्थान:

(i) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर जारी की जाएंगी।

(ii) विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की तारीख भारत सरकार के सहायक सामान्य बही खाते में विशेष प्रतिभूतियों के जमा होने की तारीख होगी।

(iii) विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में जारी की जाएंगी।

7. अवधि:

विशेष प्रतिभूतियों की अवधि निर्गम की तारीख से **10 वर्ष** होगी।

8. मांग और विक्रय विकल्प:

(i) विशेष प्रतिभूतियों में, इस विभाग की फाइल संख्या 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना के पैरा 7.5 में यथाविनिर्दिष्ट मांग और विक्रय का विकल्प होगा।

(ii) भारत सरकार के पास दो वर्ष के पश्चात विशेष प्रतिभूतियों के सममूल्य पर पूर्ण अथवा आंशिक परिपक्वतापूर्व मोचन करने के लिए "मांग विकल्प" देने की विवेकाधीन शक्ति होगी। उस स्थिति में, विशेष प्रतिभूतियों पर सरकार द्वारा निर्णीत परिपक्वतापूर्व मोचन की तारीख से मोचित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा।

(iii) विशेष प्रतिभूतियों के धारक अर्थात् राष्ट्रीय लघु बचत निधि के पास दो वर्ष के पश्चात विशेष प्रतिभूतियों के सममूल्य पर पूर्ण अथवा आंशिक परिपक्वतापूर्व मोचन हेतु ''विक्रय विकल्प'' का प्रयोग करने के लिए विवेकाधीन शक्ति होगी। उस स्थिति में, विशेष प्रतिभूतियों पर परिपक्वतापूर्व मोचन की तारीख से मोचित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा।

9. ब्याज

(i) विशेष प्रतिभूतियों पर **7.40%** (सात दशमलव चार शून्य प्रतिशत) प्रति वर्ष ब्याज लगेगा जो विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख से शुरू करके अर्ध-वार्षिक आधार पर देय होगा। प्रतिभूतियों पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय (अर्थात निर्गम कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में देय होगा।

(ii) ब्याज निकटतम सौ रुपए के पूर्णांकन के बाद संदेय होगा।

10. चुकौती:

विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती ऊपर पैरा-8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन सममूल्य पर दस वर्षों के पश्चात अर्थात वित्त वर्ष 2030-31 में निर्गम की उसी तारीख पर होगी।

11. हस्तांतरणीयता और संपरिवर्तन

विशेष प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी और जब तक सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, तब तक किसी अन्य रूप में इनके संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

12. सांविधिक उपबंध:

ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसका इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां,सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) द्वारा अभिशासित होंगी।

रजत कुमार मिश्र, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

Issue of 7.40% Government of India NSSF (R) (Non-trans) Special Securities, 2030-31

No. 5/1/2019-NS.—The Government of India, hereby notifies the issue of 7.4**0 per cent** Government of India NSSF (R) (Non-trans) Special Securities, 2030-31 (hereinafter called "special securities").

2. Objective:

Central Government shall issue the Special Securities notified hereunder against the amount received in the National Small Savings Fund (NSSF) on account of redemption of special Government of India and State Government securities issued against shares of net small savings collection from 1-4-1999.

3. Eligibility for subscribing to special securities:

The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on behalf of NSSF, shall be eligible to subscribe to special securities.

4. Subscription:

Special securities will be issued for an amount of Rs.1,00,000 (face value) and in multiples of Rs.1,00,000 thereafter.

5. Form of securities:

The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

6. Price, Date and Place of Issue:

(i) The special securities will be issued at par.

(ii) The date of issue of special securities shall be date of credit of special securities to Subsidiary General Ledger Account of NSSF.

(iii) The Special Securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

7. Tenure:

The tenure of the special securities will be **10 years** from the date of issue.

8. Call and put option:

(i) The Special Securities will have call and put option as specified in paragraph 7.5 of the General Notification, issued vide this Department's F.No.4(2)-W&M/2018, dated 27th March, 2018.

(ii) The Government of India shall have the discretion to exercise "call option" to prematurely redeem the special securities wholly or partly at par, after two years. In that event, interest on the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date of premature redemption decided by the government.

(iii) The holder of the Special Securities, i.e. National Small Savings Fund shall have the discretion to exercise "put option", for premature redemption of the special securities, wholly or partly at par, after two years. In that event, interest on the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date of premature redemption.

9. Interest:

(i) The special securities bear interest at the rate of 7.4**0%** (Seven point four per cent.) per annum payable on half-yearly basis. Interest on the securities will be payable at the Public Debt Office (i.e. the office of Issue), Reserve Bank of India, Nagpur.

(ii) Interest will be paid after rounding off to nearest hundred rupees.

10. Repayment:

The special securities shall be repaid at par after ten years i.e. in FY 2030-31 on the same day of issue subject to the terms specified under paragraph 8 hereinabove.

11. Transferability and conversion:

The Special Securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

12. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006).

RAJAT KUMAR MISHRA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA